उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–03 / 2015–16

राज्य बनाम भतन भुईयां।

आदेश

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1037 / रा0 दिनांक 09.07.2016 से संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–03 / 2015–16 राज्य बनाम भतन भुईयां, मौजा–कौवावर, अंचल–कोडरमा, अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक की पृ0सं0–01–03 पर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूमि की जमाबन्दी श्री भतन भुईयां पिता–गणपत भुईयां, मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92 / 6 प्लॉट नं0–189, 190, 191, कुल रकवा–1.78ए0 भूमि पंजी–II के पृ0सं0–137 / 1 पर दर्ज है, जो बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के कायम किया गया है। भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। जमाबन्दी में एक भी लगान रसीद निर्गत नहीं है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 03–8–2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। नोटिस निर्गत करने के पश्चात सुनवाई के लिए निर्धारित 03 तिथियों तक विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दाखिल करने हेतु समय की माँग की गयी। तत्पश्चात दिनांक 08–9–2016 को विपक्षी कॅाली भुईयां पिता–मूरत भुईयां की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि तत्कालीन उपायुक्त कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 2620 / गो0 दिनांक 29.9.2011 के आलोक में राजस्व कर्मचारी द्वारा उनके जमाबन्दी को रद्द करने का प्रस्ताव अंचल अधिकारी, कोडरमा को भेजा गया है। विपक्षी द्वारा दावा किया गया कि मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा स्थित खाता संख्या–92 / 6 प्लॉट नं0–189, 190, 191, कुल रकवा–1.78ए0 भूमि बन्दोबस्ती बिहार सरकार द्वारा सन् 1976 में इस वाद के पक्षकार मसोमात लीलो के ससुर स्व0 भतन भुईयां पिता–गणपत भुईयां जिनकी मृत्यु आज से करीब 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है, के नाम से बन्दोबस्त की गई है जो पंजी–II में अंकित है। उक्त भूमि गैरमजरूआ खास है। मसोमात लीलो पति–स्व0 कमलेश भुईया इस वाद के विपक्षी सह बन्दोबस्तधारी स्व0 भतन भुईया की एकमात्र वारिशान है, जो एक दलित, अनपढ महिला है। बन्दोबस्ती के बाद से ही विपक्षी एवं उनके वारिशान उपरोक्त वर्णित भूमि पर जोत–अबाद का जीविकापार्जन कर रहे हैं तथा शांति पूवर्क दखलकार चले आ रहे है।

भतन भुईयां को बिहार सरकार द्वारा भुदान में आज से करीब 50 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ जिसपर हमारा शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। बन्दोबस्ती के बाद से ही विपक्षी एवं उनके वारिशान उपरोक्त वर्णित भूमि पर जोत–अबाद का जीविकापार्जन कर रहें है। उक्त वर्णित भूमि का पर्चा कहीं खो गया या क्षतिग्रस्त हो गया है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बतलाया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख में संलग्न प्रतिवेदनों एवं कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा स्थित खाता संख्या–92/6, प्लॉट नं0–189, 190, 191, कुल रकवा–1.78ए0 भूमि की कायम जमाबन्दी अवैध है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 के आलोक में मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा स्थित खाता संख्या–92/6 प्लॉट नं0–189, 190, 191, कुल रकवा–1.78एकड़ पर भतन भुईयां पिता–गणपत भुईयां के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेजे।

Details of Land:- मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा, खाता संख्या–92/6 प्लॉट नं0–189, 190, 191, कुल रकवा–1.78 एकड़।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा। 10/1

उपायुक्त 10/1
कोडरमा।